

प्राप्ति
४-४-१४

(14)



ज्ञापनपूर्ण रोलर-व अदान मे. ७. अदानिपूर्ण

एक. ६९५ / २०१४ निवालनी Restd ११४२-३१५

रेस्ट्रेशन आवेदन

दिनांक
मार्च २०१४
मात्रा
१०० रुपये

मनरवान् १० हजार कोरी, ग्राम-
हिंसियां तह जौहा, अंगां शुल्क नमूद
— ३१३३३

माना वेष्टिविरोध
— ३१३३३

आवेदन पत्र वास्तव प्रकरण को रेस्ट्रेशन किए जाने वाला

महोड़प-

श्रीमान जी के समक्ष आवेदन पत्र निम्न उल्लिख है।

① पहले कि उक्त प्रकरण भाजनीय ज्ञापनपूर्ण के समक्ष आज दिनांक को
प्रारंभिक शुल्काई हेतु निपत था।

2 - पहले कि आवेदक आजमाइच्छा भाजनीय ज्ञापनपूर्ण-अदानिपूर्ण
मे. एक. ५९३०/२०१३ W.P. को घट्टत थे, इसकीपै वक्त पुकार
भाजनीय ज्ञापनपूर्ण के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके इसकीपै भाजनीय
ज्ञापनपूर्ण हारा उक्त प्रकरण अनुसारि अवश्य धैरवति के निरदल कर दिया गया है।

3 - पहले कि आवेदक उक्त प्रकरण को शुल्कों पर निराकृत कराना चाहा गया है।

(4) पहले कि आवेदक का आवेदन पत्र अनुमति पर आदायित है।
आता; श्रीमान जी के निवेदन है कि उक्त प्रकरण को अनुस्थापित
कर शुल्कों पर शुल्काई किये जाने वाले आवेदित करने
की उपायकरण।

दिनांक - २-४-२०१४

रक्षान - अदानिपूर्ण

प्राची
हारा अभिभावक
पर. जी. गोपीनाथ
दिनांक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग-अ

प्रकरण क्रमांक १४२ | अ | १५

मालवतीन

विरुद्ध

माला

तहसील

जिला

छत्तीगं

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक. जिलाध्यक्ष के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक.

अनुविभागीय पदाधिकारी के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक. तहसील का प्रकरण क्रमांक.

बाद का विषय

अधिनियम एवं धारा जिसके अन्तर्गत प्रकरण यहाँ प्रस्तुत हुआ है

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
2-५-१५	<p>आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला राजस्व छोड़ा जाना दिया गया।</p> <p>के मूल / अपीलीय आदेश दिनांक. २०५-१५</p> <p>के विरुद्ध श्री के अभिभावक द्वारा अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन-पत्र प्रस्तुत किया गया जो पंजीबद्ध किया जा चुका है।</p> <p>पुनरावलोकन अवधि बाह्य है/ नहीं है/ मुद्रांक शुल्क पूर्ण है/.....रु. की कमी है। आदेश, जिसके विरुद्ध यह अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन है, की प्रतिलिपि संलग्न है/ नहीं है। अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन की प्रतियां दी गई हैं/ नहीं दी गई हैं। आव्हान शुल्क दे दिया है/ नहीं दिया है।</p>	प्रस्तुतकार

[पीछे देखिये]

मुख्यालय | नाला

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

(२) ✓

प्रकरण क्रमांक स्थान तथा दिनांक	रेस्टोरेशन —एक / 2014 कार्यवाही तथा आदेश	अनुबृति आदेश पृष्ठ	जिला मुरैना पक्षकारी एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
		कार्यवाही तथा आदेश	
3-4-2014	आवेदक अधिवक्ता श्री पी०के०तिवारी उपस्थित। उन्हें रेस्टोरेशन आवेदन पर सुना। पर्याप्त आधार होने से रेस्टोरेशन आवेदन स्वीकार किया जाता है। मूल प्रकरण क्रमांक 675—एक / 2014 पुनः नम्बर पर लिया जाता है। इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से यह प्रकरण समाप्त किया जाता है।	प्रशासकीय सदस्य	